न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 37/2017

RCMS Case No. 2018/00296

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
श्रीमती संतोषकंवर पत्नी भगवतसिंह जाति राजपूत निवासी ऐलानी तहसील रानी जिला पाली		1. रघुराजसिंह तथाकथित गोद पुत्र मोतीसिंह जन्मदाता पिता परबतसिंह जाति राजपूत निसासी ऐलानी तहसील रानी 2. तहसीलदार देसूरी 3. तहसीलदार रानी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिषाक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1

श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

—:: निर्णय ::—

दिनांक :—25/02/2019

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम ऐलानी के नामान्तरकरण संख्या 62 पर तहसीलदार देसूरी पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 08.01.2002 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम ऐलानी के पुराने खसरा नम्बर 117, 118, 113, 114, 114मी., 241 व 241 मी0 की भूमि में मोतीसिंह का 1/2 हिस्सा था। उक्त सम्पति मोतीसिंह जी की स्व—अर्जित सम्पति थी। सेटलमेन्ट के पश्चात गत खसरा नम्बर 117, 118, 113, 114, 114मी., 241 व 241 मी0 के हाल खसरा नम्बर 22, 23, 27, 28, 29, 293 व 294 कायम हुए। मोतीसिंह जी संतोषकंवर के पति भगवतसिंह के दादा भोपालसिंह के काका लगते थे। मोतीसिंह जी के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था। मोतीसिंह के वारिशान में उनकी एकमात्र पुत्री भंवरकंवर व पत्नी मोहनकंवर थी। अपीलाण्ट एवं उसके पति द्वारा ही मोतीसिंह की सेवा सुश्रुषा की गई थी। इस कारण मोतीसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त आराजी की वसीयत अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित की, जो रजिस्टर्ड हैं। उक्त वसीयतनामा में मोतीसिंह की पत्नी मोहनकुंवर व पुत्री भंवरकंवर की साख डाली हुई है, जो उनकी सहमति को प्रकट करती हैं। उक्त वसीयतनामा मोतीसिंह जी की अन्तिम इच्छा पत्र है, जो उनके स्वर्गवास होने तक किसी भी रूप में निरस्त नहीं किया गया। मोतीसिंह के स्वर्गवास के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण

अति० जिला कलक्टर, पाली

दायर करवाने का निवेदन किया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा वसीयतनामा में अंकित इबारत की मौका तथा रेकर्ड के अनुसार जांच करने के पश्चात मौके पर कब्जे आदि की तस्दीक कर जैर अपील नामान्तरकरण अपीलाण्ट के पक्ष में दायर किया। इससे अपीलाण्ट को यह पुष्टि हो गई कि उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत हो जाएगा। इस कारण अपीलाण्ट को राजस्व रेकर्ड की प्रतियां लेने की आवश्यकता ही नहीं हुई। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 22.08.2017 को जब राजस्व रेकर्ड की प्रतियां प्राप्त की गई, तब अपीलाण्ट को यह जानकारी हुई कि भू0अ0नि0 की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में दायर नामान्तरकरण को अस्वीकृत कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं हैं। चूंकि वसीयतनामा रजिस्टर्ड था एवं उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद ही नहीं था। इसके बावजूद भी भू0अ0नि0 द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर जैर अपील विवादित भूमि को पैतृक होना अंकित करते हुए नामान्तरकरण खारिज़ करने बाबत रिपोर्ट अंकित की, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मोतीसिंह के विरासत का नामानतरकरण मोहनकंवर पत्नी मोतीसिंह व भंवरकंवर पुत्री मोतीसिंह के नाम दायर किया, जबकि मोहनकंवर व भंवरकंवर द्वारा वसीयतनामा में साख डाली थी, जो वसीयतनामा की स्वीकृति की ताईद करती हैं। चूंकि वसीयतनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज को नकारते हुए विरासत के आधार पर नामान्तरकरण दायर किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कराते हुए वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण दायर कराने का आदेश पारित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज़ योग्य हैं। जैर अपील विवादित आराजी मोतीसिंह जी की स्व–अर्जित भूमि नहीं होकर पैतृक भूमि थी, जिसके कारण उन्हे उक्त भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट मोतीसिंह का गोदीपुत्र हैं। मोतीसिंह फौत होने के पश्चात उनकी पत्नी मोहनकंवर ने अपीलाण्ट को गोद लिया है। अपीलाण्ट बतौर गोदीपुत्र मोहनकंवर के साथ ही निवास करता आया हैं। अपीलाण्ट जैर अपील विवादित आराजी को मोतीसिंह जी की स्वअर्जित सम्पति बताते है, जबकि इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं किया है। मोतीसिंह जी द्वारा उक्त भूमि किसी भी रूप में क्रय नहीं की गई, इस कारण से उपरोक्त भूमि पैतृक व पुश्तैनी सम्पति के रूप में मोतीसिंह जी को विरासत में प्राप्त हुई थी, जिसका वसीयत करने का उन्हे कोई हक अधिकार नहीं था। उक्त वसीयत फर्जी एंव कूटरचित है, जिसे अपीलाण्ट द्वारा अपने पति व अन्य लोगों से मिलावट कर तैयार की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त वसीयत को निरस्त व शून्य घोषित करने हेतु एक सिविल वाद वादी रघुराजसिंह बनाम प्रतिवादी संतोषकंवर वाद संख्या 50/2017 सिविल न्यायालय देसूरी में प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन हैं। इस स्थिति में जब तक वाद विचाराधीन है, तब तक वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। मोतीसिंह की पत्नी मोहनकंवर द्वारा रेस्पोडेन्ट को गोद लिया है, जो गोदनामा रजिस्टर्ड है, जिसमें मोतीसिंह की पुत्री भंवरकंवर की साख हैं। मोतीसिंह फौत होने के पश्चात जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण के उक्त आराजी मोहनकंवर व भंवरकंवर के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। इसके पश्चात भंवरकंवर ने अपने हिस्से को मोहनकंवर के पक्ष में हकतर्क कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मोहनकंवर का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज रहा। मोहनकंवर फौत होने के पश्चात गोदीपुत्र होने के नाते रेस्पोडेन्ट के नामा नामान्तरकरण

अति० जिला कलेक्टर, पाली

दायर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप रेस्पोडेन्ट वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज हैं। विधिक दृष्टिकोण से जहां तक वसीयत एवं उत्तराधिकार के सम्बन्ध में विवाद हो, वहां पर उत्तराधिकार के आधार पर ही नामान्तरकरण दायर किया जा सकता है। वसीयत के आधार पर व्यक्ति सक्षम न्यायालय में घोषणा का वाद आदि प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र होता है। वसीयत के आधार पर सीधे नामान्तरकरण दायर नहीं किया जा सकता हैं। उक्त भूमि मोतीसिंह जी की स्व–अर्जित नहीं होकर पैतृक होने के कारण भू0अ0नि0 द्वारा विधिवत जांच कर जाकर अपनी रिपोर्ट अंकित की है, जिसके आधार पर तहसीलदार देसूरी द्वारा नामान्तरकरण को खारिज़ करने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 2008 पेज 186, आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 650, आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 1222, आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 1355, आर0आर0टी0 2016 (2) पेज 1099, डी0एन0जे0 2014 (1) पेज 209, आर0एल0डब्ल्यू0 (1) पेज 959, ए0आई0आर0 1967 (एस.सी.) पेज 1153, ए0आई0आर0 1980 (एस.सी.) पेज 2026 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट स्वयं को मोतीसिंह का गोदीपुत्र होना बताता है, जबकि रेस्पोडेन्ट के विवाह का कार्ड आदि में रेस्पोडेन्ट की वल्दियत में उनके जायन्दा पिता का ही नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट को तथाकथित रूप से जब गोदलिया, उससे पूर्व ही सम्पति का निस्तारण हो चुका था। इस प्रकार मोतीसिंह जी फौत होने पर निर्विवादित रूप से उक्त भूमि अपीलांट के पक्ष में समाहित हो चुकी थी। इस कारण मोतीसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण विधिक रूप से दायर ही नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के नाम दायर नामान्तरकरण को खारिज़ किया है, जो विधि विरूद्ध तथा उसके पश्चात विरासत का जो नामान्तरकरण दायर किया गया है, वह भी विधिक दृष्टिकोण से शून्य होने से खारिज़ योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करावें एवं वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण दायर करने का आदेश पारित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 08.01.2002 को पारित किया गया है, जिसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.09.2017 को प्रस्तुत की गई है, जो आदेश पारित होने के लगभग 16 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जहां तक मियाद का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर मियाद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में ए0आई0आर0 1987 (एस.सी.) पेज 1353 में यह अभिनिर्धारित किया है कि " Constitution of India, Article 14 - Limitation Act, 1963, Section 5 - Condonation of delay - Sufficient cause - Courts directed to make justifiably liberal appraoch in the matter - Doctrine of equality - States cannot be given stepmotherly treatment." इसे विस्तृत रूप से पैरा संख्या 3 में उद्धरित किया है, जो इस प्रकार है – 3–The legislature has conferred the power to condone delay by enacting Section 5 "Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of 0. XXI of the Civil Procedure Code, 1908, may be admitted after the prescribed period if the appellant or the

अति0 जिला कलेक्टर, पाली

applicant satisfies the Court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period." of the Indian Limitation Act of 1963 in order to enable the Courts to do substantial justice to parties by disposing of matters on 'merits'. The expression *"sufficient cause"* employed by the legislature is adequately elastic to enable the Courts to apply the law in a meaningful manner which subserves the ends of justice that being the life-purpose for the existence of the institution of Courts. It is common knowledge that this Court has been making a justifiably liberal approach in matters, instituted in this Court. But the message does not appear to have percolated down to all the other Courts in the hierarchy. And such a liberal approach is adopted on principle as it is realised that :-

1. Ordinarily a litigant does not stand to benefit by lodging an appeal late.
2. Refusing to condone delay can result in a meritorious matter being thrown out at the very threshold and cause of justice being defeated. As against this when delay is condoned the highest that can happen is that a cause would be decided on merits after hearing the parties.
3. "Every day's delay must be explained" does not mean that a pedantic approach should be made. Why not every hour's delay every second's delay ? The doctrine must be applied in a rational common sense pragmatic manner.
4. When substantial justice and technical considerations are pitted against each other, cause of substantial justice deserves to be preferred for the other side cannot claim to have vested right in injustice being done because of a non-deliberate delay.
5. There is no presumption that delay is occasioned deliberately, or on account of culpable negligence, or on account of *mala fides*. A litigant does not stand to benefit by resorting to delay. In fact he runs a serious risk.
6. It must be grasped that judiciary is respected not on account of its power to legalise injustice on technical grounds but because it is capable of removing injustice and is expected to do so.

Making a justice-oriented approach from this perspective, there was sufficient cause for condoning the delay in the institution of the appeal. The fact that it was the 'State', which was seeking condonation and not a private party was altogether irrelevant. The doctrine of equality before law demands that all litigants, including the State as a litigant, are accorded the same treatment and the law is administered in an even-handed manner. There is no warrant for according a stepmotherly treatment when the 'State' is the applicant praying for condonation of delay. In fact experience shows that on account of an impersonal machinery (no one in charge of the matter is directly hit or hurt by the judgment sought to be subjected to appeal) and the inherited bureaucratic methodology imbued with the note-making, file pushing, and passing on the buck ethos, delay on its part is less difficult to understand though more difficult to approve. In any event, the State which represents the collective cause of the community, does not deserve a litigant *non grata status*. The Courts therefore have to informed with the spirit and philosophy of the provision in the course of the interpretation of the expression "sufficient cause". So also the same approach has to be evidenced in its application to matters at hand with the end in view to do even-handed justice on merits in preference to the approach which scuttles a decision on merits. Turning to the facts of the matter giving rise to the present appeal, we are satisfied that sufficient cause exists for the delay. The order of the High Court dismissing the appeal before it as time barred, is therefore, set aside. Delay is condoned. And the matter is remitted to the High Court. The High Court will now dispose of the appeal on merits after affording reasonable opportunity of hearing to both the sides. इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा

आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

अब प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर देखा जाता है, तो निम्न स्थिति प्रकट होती है कि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील विवादित आराजी को मोतीसिंह की स्व–अर्जित सम्पति होना बताते हुए स्वयं के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दायर करवाने का अनुतोष चाहा, जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि मोतीसिंह की स्व–अर्जित नहीं होकर पैतृक होना बताते हुए मोतीसिंह को वसीयत करने का अधिकार नहीं होना कथन करते हुए अपील को खारिज़ कराने का निवेदन किया। जिस वसीयत का जिक्र किया गया है, उस वसीयत के आधार पर दायर होकर अस्वीकृत हुए नामान्तरकरण की अपील को न्यायालय हाजा द्वारा पृथक से निर्णीत किया जा रहा हैं। इस स्थिति में उक्त नामान्तरकरण की पश्चातवर्ती क्रम में दायर नामान्तरकरण भी उक्त निर्णय से प्रभावित होगा। जहां तक वसीयत का प्रश्न है, तो उक्त वसीयत माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत होने के कारण, उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना न्यायोचित नहीं है, किन्तु जहां तक वसीयत के प्रभावी होने का प्रश्न है, तो यह सुस्थापित है कि वसीयत, वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रभावी होते हैं तथा वसीयतकर्ता की मृत्यु होने पर वसीयत की गई सम्पति वसीयतग्रहिता को समाहित हो जाती हैं। चूंकि वसीयत में मोतीसिंह के वारिशान द्वारा साखे डाली गई है, जो उनकी स्वीकारोक्ति को प्रदर्शित करती है। यह तथ्य विधिक रूप से प्रकरण को किस हद तक प्रभावित करता है, यह जांच का विषय है। इस कारण जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण को पुनः जांच कर विधि सम्मत निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम ऐलानी के नामान्तरकरण संख्या 62 पर तहसीलदार देसूरी पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 08.01.2002 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वसीयतनामा के आधार पर जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। मूल नामान्तरकरण एवं निर्णय की सत्य प्रति तहसीलदार रानी को प्रेषित की जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 25/2/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर रानी (राजस्थान)